<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी : रविन्द्र कुमार

निर्णय दिनांक : 17.03.2026

सिविल पुनरीक्षण (डीआरसी) सं. : 12/2025

(CIS no. 15/2025)

कृष्णलाल पुत्र कुम्भाराम, निवासी वार्ड नंबर 3, लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। **–**पुनरीक्षणकर्ता पक्ष

विरूद्ध

नत्थूराम दोवन पुत्र शेराराम, निवासी वार्ड नंबर 8, लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। –गैरपुनरीक्षणकर्त पक्ष

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 17 राज. कृषि ऋण निवारण अधिनियम, 1957 विरूद्ध निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 12.09.2025 न्यायालय न्यायाधीश, ऋण निवारण न्यायालय, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर, पीठासीन अधिकारी सुश्री मीना गहलोत, रा.न्या.से., डी.आर.सी. प्रकरण सं. 02/2019 शीर्षक नत्थूराम दोवन विरुद्ध कृष्णलाल, **जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी–प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6(2) राज. कृषि ऋण मुक्ति अधिनियम, 1957 विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता स्वीकार किया जाकर ऋण विनिश्चित करते हुए छह बराबर–बराबर <u>द्विमासिक किश्तों में पुनर्भुगतान का आदेश दिया गया।</u>**

<u>प्रतिनिधित्वः</u>–

1– श्री ऋषिराज ओझा, अधिवक्ता–पुनरीक्षणकर्ता पक्ष के लिए

2– श्री एस.के. अरोड़ा, अधिवक्ता– गैरपुनरीक्षणकर्ता पक्ष के लिए

न्यायालय द्वाराः–

–:: **<u>निर्णय</u>** ::–

1. पुनरीक्षणकर्ता कृष्णलाल की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका दिनांक 29.09.25 को इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर नियमानुसार संस्थित की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि गैरपुनरीक्षणकर्ता –प्रार्थी नत्थूराम दोवन की ओर से दिनांक 02.05.19 को ऋण निवारण न्यायालय, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के समक्ष राजस्थान कृषि ऋण निवारण अधिनियम, 1957 (एतदर्थ **'अधिनियम'** से संदर्भित) की धारा 6(2) के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता–अप्रार्थी कृष्णलाल के विरूद्ध ऋण विनिश्चियकरण के अनुतोष का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया

कि यह व पुनरीक्षणकर्ता एक ही गांव के निवासी हैं व आपस में परिचित हैं। पुनरीक्षणकर्ता ने इससे दिनांक 15.05.2016 को 4,00,000/- रुपये 1.50 रुपये प्रति सैंकड़ा के हिसाब से अपनी घरू जरूरत हेतु रोबरू गवाहान उधार ली व एक प्रोनोट इस संबंध में रोबरू गवाहान निष्पादित करवाकर अपने हस्ताक्षर कर दिया। असल राशि व ब्याज पेटे पुनरीक्षणकर्ता ने कोई राशि बार-बार तलबो तकाजा के अदा नहीं कर दिनांक 30.04.2019 को अदायगी से इंकार कर दिया तथा पुनरीक्षणकर्ता की ओर 2,13,000 रूपए ब्याज सहित कुल 6,13,500 रूपए अवशेष होना दर्शाकर उक्त ऋण विनिश्चित किया जाने व प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षणकर्ता पक्ष की चल एंव अचल संपत्तियों का विवरण अंकित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता कृषक पेशा व्यक्ति होकर 6,20,000 रूपये वार्षिक आय होना एवं राशि अदायगी हेतु सक्षम होना व्यक्त कर पुनरीक्षणकर्ता पर ऋण अदायगी दायित्व भारित किए जाने का निवेदन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उत्तर आवेदन के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता ने ऋण आवेदन पत्र के अभिकथनों को अस्वीकार कर व्यक्त किया कि उसने दिनांक 15.05.2016 को प्रार्थी से कोई राशि उधार नहीं ली। प्रार्थी ने फर्जी एवं झूठा दस्तावेज तैयार किया है, उसने कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया। वह कृषि व्यवसाय नहीं करता है, न ही उसके पास किसी प्रकार का पशुधन है। वह लालगढ़ जाटान में फोटो स्टेट का कार्य कर करीब 5,000 रुपए महीना कमाता है। प्रार्थी ने दस्तावेज पर गवाहान के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं तथा स्वयं के पास कोई मकान, सोने के जेवरात, गाय-भैंस व मोटरसाईकिल नहीं होना दर्शाकर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के परस्पर विरोधी अभिकथनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2022 को निम्न विवाद्यक विरचित किये गए-

1-आया अप्रार्थी ने प्रार्थी से दिनांक 15.05.2016 को 4,00,000/- रुपये 1.50/- रुपये प्रति सैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज की दर से नगर उधार लेकर एक प्रोनोट मय रसीद रोबरू गवाहान हरबंश लाल व गोविंद प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर प्रार्थी को सुपुर्द किए?
-प्रार्थी

2- आया उक्त ऋण राशि पर 1.50/- रुपये प्रति सैंकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज देना तय हुआ था? -प्रार्थी

3- आया प्रार्थी, अप्रार्थी से मूलधन 4,00,000/- रुपये व उस पर उक्त दर से ब्याज राशि 2,13,000/- कुल 6,13,000/- रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है? -प्रार्थी

4- आया अप्रार्थी कृषक नहीं है? -अप्रार्थी

5- अनुतोष ?

5. उक्त विवाद्यकों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.ड.1 नत्थूराम, ए.ड.2 दौलतराम व ए.ड.3 राजवीर को परीक्षित करवाया गया व प्रलेखीय साक्ष्यस्वरूप प्रदर्श–1 से 5 प्रदर्शित करवाए गए। पुनरीक्षणकर्ता–अप्रार्थी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में एन .ए.ड.1 कृष्णलाल, एन.ए.ड.2 कुलदीप व एन.ए.ड.3 लूणाराम को परीक्षित करवाया गया है।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण पूर्ण कर प्रश्नगत निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 12.09.2025 पारित करते हुए गैरपुनरीक्षणकर्त पक्ष का आवेदन विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता स्वीकार किया जाकर दिनांक 15.05.2016 से 30.04.2019 की अवधि का मूलधन राशि 4,00,000 रुपए पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण बज की दर से कुल 4,71,000 रुपए मूलधन व ब्याज ऋण विनिश्चित किया जाकर, पुनरीक्षणकर्ता–पक्ष द्वारा उक्त समस्त देय राशि का पुनर्भुगतान छह बराबर –बराबर द्विमासिक किश्तों में प्रार्थी–गैरपुनरीक्षणकर्ता पक्ष को किए जाने व किश्तें अदायगी में व्यतिक्रम किए जाने पर अप्रार्थी संपूर्ण राशि एक साथ अदा करने का उत्तरदायी होने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय व आदेश को चुनौती देते हुए यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई ।

7. बहस के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में वर्णित आधारकथनों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया कि गैरपुनरीक्षणकर्ता प्रार्थी साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसके पास रूपए उधार देने का कोई लाईसेंस नहीं है और उसे यह प्रमाणित करना था कि प्रोनोट व रसीद का निष्पादन रूबरू गवाहन हुआ है। प्रोनोट लेखक दौलतराम ने दस्तावेज प्रदर्श–2 दिनांक 15.5.2016 को सुबह 10 बजे लिखा जाना बताया है और उसके द्वारा उक्त दस्तावेज को अपने रजिस्टर में दर्ज नहीं किया था। रसीद प्रदर्श –3 का गवाह दौलतराम नहीं है और प्रोनोट प्रदर्श–2 एवं रसीद प्रदर्श–3 के अनुप्रमाणक साक्षीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आकर उक्त दस्तावेजों के निष्पादन की पुष्टि ही नहीं की गई है व पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दस्तावेज को फर्जी एवं कूटरचित बताया गया है, ऐसी स्थिति में दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में तथ्य प्रमाणित नहीं हुए हैं। गैरपुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपना समस्त संव्यवहार प्रदर्श–2 व 3 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो प्रमाणित नहीं हुआ है। उनका पक्षकथन है कि गैरपुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से हुए संव्यवहार को कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है और उसके द्वारा कभी भी इंकम टैक्स की कोई रिटर्न दाखिल नहीं की गई है और दस्तावेज लेखक दौलतराम ने कथन किया है कि उसने लेनदेन के एक माह बाद प्रोनोट लिखा

था, जिसमें तारीख जो लेनदेन 15.5.2016 को हुआ, उस दिन की डाली है और प्रदर्श–2 व 3 के गवाहन द्वारा न्यायालय के समक्ष आकर पुष्टि नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में अपुष्ट साक्ष्य है। विचारण न्यायालय द्वारा छः बराबर किश्तों में समस्त राशि चुकाने का आदेश दिया है, जबकि पक्षकारान के मध्य कोई संबंध ही प्रमाणित नहीं कर पाया है और न ही उनकी स्थिति उसकी आय को प्रमाणित कर पाया है। उनका पक्षकथन है कि विधिनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई ऋणि ऋणदाता को किसी भी प्रकार से ब्याज की अदायगी करेगा और व्यतिक्रम की सूरत में एकमुश्त अदायगी करेगा। उक्त अधिनियम केवलमात्र कृषकों को अपनी भूमि एवं आजीविका बनाए रखने हेतु बनाया गया है, जिसे समझने में विचारण न्यायालय द्वारा भूल की गई है, क्योंकि गैरपुनरीक्षणकर्ता, पुनरीक्षणकर्ता के कृषक होने एवं ऋणी होने के तथ्य को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित ही नहीं कर पाया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले से संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधि पर बिना विचार करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया गया है, जो मनमाना, अनुचित तथा निरस्त योग्य होना दर्शाकर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किए जाने व आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति अपास्त करने का निवेदन किया।

8. खंडन में प्रत्यर्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व आज्ञप्ति पारित किए गए हैं, उसमें अभिलेख पर आई साक्ष्य का समुचित रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपना निष्कर्ष दिया गया है। उसमें हस्तक्षेप के कोई आधार नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता ने गैरपुनरीक्षणकर्ता से अपनी घरू जरूरत बताकर 4 लाख रूपए की राशिं उधार प्राप्त कर इस संबंध में प्रोनोट व रसीद निष्पादित कर दिए थे, जिसमें गवाह दौलतराम ने पुष्टि की है और रसीद के दोनों गवाह की मृत्यु हो जाने से उनके पुत्र को साक्ष्य में पेश किया गया है, जिन्होंने पर रसीद पर गवाहन के हस्ताक्षर पुष्ट किए हैं और पुनरीक्षणकर्ता कृषक होने के संबंध में भूअभिलेख जमाबंदी पेश की गई है व स्वयं पुनरीक्षणकर्ता ने साक्ष्य में कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उधार राशि पेटे कोई पुनर्भुगतान नहीं किए जाने से मूलधान व ब्याज की संपूर्ण राशि बकाया है, जिसे प्राप्त करने का गैरपुनरीक्षणकर्ता अधिकारी है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से ऋण का विनिश्चय किया गया है। अतः पुनरीक्षणाधीन निर्णय एवं आदेश पुष्ट किए जाने एवं पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

9. उभय पक्ष के पक्षकथनों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एंव पुनरीक्षणाधीन निर्णय व आज्ञप्ति का परिशीलन किया। उपर्युक्त विवाद्यकों के संबंध में

पुनरीक्षण न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत् हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–1 से 3</u>

10. उक्त तीनों विवाद्यकों का साक्ष्य के विवेचन में सुविधा एवं पुनरावृत्ति को विलोपित किए जाने के दृष्टिगत विचारण न्यायालय द्वारा एक साथ निस्तारण किया गया है। चूँकि उक्त विवाद्यकों के अंतर्गत प्रश्नगत तथ्य एक–दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए अपीलीय न्यायालय द्वारा भी एकसाथ विचारित कर विनिश्चय पारित किया जा रहा है। उक्त विवाद्यकों का प्रमाणदायित्व गैरपुनरीक्षणकर्ता पक्ष पर था एवं यह तथ्य प्रश्नगत है कि क्या पुनरीक्षणकर्ता ने गैरपुनरीक्षणकर्ता से दिनांक 15.5.2016 को 4 लाख रूपए 1.50 रूपए प्रति सैकड़ा प्रतिमाह ब्याज की दर से नकद उधार प्राप्त कर एक प्रोनोट मय रसीद रूबरू गवाहन हरबंशलाल एवं गोविंद, गैरपुनरीक्षणकर्ता पक्ष में निष्पादित किया और मय ब्याज 6,13,000 रूपए गैरपुनरीक्षणकर्ता पुनःप्राप्त करने का अधिकारी है ?

11. इस संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गैरपुनरीक्षणकर्ता–प्रार्थी पक्ष की ओर से साक्ष्य में स्वयं को ए.ड.1 के रूप में परीक्षित करवाते हुए मुख्य परीक्षणस्वरूप शपथ पत्र में अपने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 15.5.2016 को गवाहन हरबंसलाल एवं गोविंद के सामने 4 लाख रूपए नगद उधार प्राप्त कर प्रोनोट व रसीद निष्पादित करना कथन करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य में अपना मुख्य परीक्षण शपथ पत्र प्रदर्श–1, प्रोनोट प्रदर्श–2, रसीद प्रदर्श–3, जमाबंदी प्रदर्श–4 व ऋण आवेदन पत्र प्रदर्श–5 प्रदर्शित करवाए हैं व प्रदर्श–2 पर ए से बी अनावेदक कृष्णलाल के, सी से डी तहरीर कुनिन्दा दौलतराम गोदारा के हस्ताक्षर होना और प्रोनोट की रसीद मय रसीदी टिकट प्रदर्श–3 पर ए से बी अनावेदक कृष्णलाल के हस्ताक्षर, सी से डी गवाह हरबंसलाल एवं इ से एफ गवाह गोविंद के हस्ताक्षर होना कथन किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि प्रोनोट व रसीद के हाशिया गवाहन हरबंसलाल तथा गोविंद की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि इसके पास रूपए उधार देने का लाईसेंस नहीं है व इसका अन्य किसी से लेनदेन नहीं है। यह इंकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है। इसने इस स्टाम्प के अलावा अन्य किसी स्टाम्प पर कृष्णलाल के हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। इस सुझाव को गलत बताया कि प्रदर्श–2 व 3 पर कृष्णलाल के हस्ताक्षर कूटरचित हों। इसने पूरी राशि नगद दी थी, प्रोनोट इसके घर पर लिखा गया था। इसने उक्त राशि बही या डायरी में नहीं लिखी थी। प्रोनोट कृष्णलाल लेकर आया था। प्रोनोट पर चार लाख नकद लिए की लिखावट कृष्णलाल द्वारा लिखी गई हैं

12. प्रार्थी–गैरपुनरीक्षणकर्ता पक्ष के द्वितीय साक्षी दौलतराम जिसे प्रोनोट व रसीद के लेखक साक्षी के रूप में पेश किया गया है, ने कथन किया है कि नथूराम एवं कृष्णलाल एक ही गांव के निवासी है व आपस में परिचित भी हैं, कृष्णलाल ने नत्थूराम से दिनांक 15.5.2016 को 4 लाख रूपए की राशि गवाहन हरबंसलाल एवं गोविंद के सामने उधार ली थी व एक प्रोनोट निष्पादित कर कृष्णलाल ने नत्थूराम को दिया , जिस प्रोनोट व रसीद की लिखा पढ़ी इसने कृष्णलाल व नत्थूराम के कहने पर की थी। प्रोनोट व रसीद खुद कृष्णलाल लेकर आया था। हरबंसलाल एवं गोविंद की मृत्यु हो चुकी है, यह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। प्रदर्श–2 पर तहसील कुन्दा के तौर पर सी से डी इसके हस्ताक्षर हैं तथा अनावेदक कृष्णलाल ने इसके सामने ए से बी हस्ताक्षर किए थे। प्रतिपरीक्षण में इसने कथन किया है कि इसके पास दस्तावेज लिखन का कोई लाईसेंस नहीं है। इसे ध्यान नहीं कि दस्तावेज लिखने का लाईसेंस होता है कि नहीं। इसने नत्थूराम का एक ही प्रोनोट लिखा है। प्रोनोट 15.5.2016 को करीब 10 बजे सुबह लिखा गया था। इसने इसे रजिस्टर में दर्ज नहीं किया। प्रोनोट व रसीदी टिकटें नत्थूराम व कृष्णलाल ने ही लाकर रखा था। यह सही है कि पैसे कृष्णलाल ने 15.5.2016 से पहले ले लिए थे, इसलिए तारीख व महीना इसके द्वारा कृष्णलाल के कहने पर सही किया गया था। इसे नत्थूराम ने कहा था कि कृष्णलाल ने पैसे इससे 15.5.2016 को लिए थे। इसलिए आज 15.5.2016 की तारीख में प्रोनोट लिख दो। यह प्रोनोट की प्रदर्श–2 की लिखत 15.6.2016 को की गई थी, फिर इसे कृष्णलाल व नत्थूराम ने कहा कि तारीख 15.5.2016 डालनी थी, जो इसने अपने हाथ से 15.5.2016 के स्थान पर 15.5.2016 की थी। इसने भूलवश अपने द्वारा की गई ओवर राईटिंग पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसने रसीद प्रदर्श–3 भी उसी समय लिख दी और गवाहों के हस्ताक्षर करवा दिए। यह सही है कि इसने लेन देन के एक माह बाद प्रोनोट लिखा था, जिसमें तारीख इसने जो लेनदेन 15.5.2016 को हुआ था, उस दिन की डाली है। यह सही है कि लिखापढ़ी 15.6.2016 की थी।

13. प्रार्थी–गैरपुनरीक्षणकर्ता पक्ष के तृतीय साक्षी राजवीर ए.ड.3 जो कि अनुप्रमाणक साक्षी हरबंसलाल का पुत्र है, ने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि रसीद के गवाह हरबंसलाल व गोविंद की मृत्यु हो चुकी है। हरबंसलाल इसके पिता थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 7.8.21 को हो चुकी है। इसके पिता ने अपने जीवनकाल में इस संबंध में इसे बताया था। इसके पिता ने इसकी मौजूदगी में कई बार अन्य कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं, रसीद प्रदर्श–3 पर सी से डी स्थान पर इसके पिता हरबंशलाल के हस्ताक्षर हैं,

जिन्हें यह पहचानता है। प्रतिपरीक्षण में इसने स्वीकार किया है कि कृष्णलाल ने नत्थूराम से 4 लाख रूपए 1.50 रूपए प्रति सैकड़ा प्रतिमाह ब्याज पर लेने वाली बात इसे इसके पिता ने बताई थी। किस तारीख को बताई, याद नहीं है। यह कृष्णलाल को नहीं जानता, इसने नत्थूराम व कृष्णलाल के मध्य लेनदेन का प्रोनोट नहीं पढ़ा। इसके पिताजी हिन्दी भाषा में ही हस्ताक्षर करते थे। इसने ऋणि तथा ऋणदाता का लेनदेन होते नहीं देखा।

14. उक्त साक्ष्य के खंडन में अप्रार्थी–पुनरीक्षणकर्ता पक्ष की ओर से स्वयं कृष्णलाल एन.ए.ड.1 ने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में अपनी उत्तर याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आवेदक से कोई राशि उधार नहीं लेने व कोई प्रोनोट व रसीद निष्पादित नहीं करने का कथन किया है व कहता है कि प्रोनोट फर्जी व कूटरचित तैयार किया है, दोनों गवाहन के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि **आदेशिका दिनांक 12.7.2019 पर ए से बी स्थान पर हस्ताक्षर नहीं है**। आदेशिका दिनांक 25.7.24 व 9.10.24 पर ए से बी इसके हस्ताक्षर हैं। जवाब प्रार्थना पत्र पर ए से बी स्थानों पर इसके हस्ताक्षर हैं। **शपथ पत्र पर ए से बी स्थान पर हस्ताक्षर नहीं है।** शपथ पत्र साक्ष्य पर ए से बी इसके हस्ताक्षर हैं। यह कक्षा 5 तक पढ़ा हुआ है। यह हिन्दी में पढ़ना लिखना जानता है। जमाबंदी प्रदर्श–4 पर ए से बी स्थान पर इसका नाम पता लिखा हुआ है, **चक 18 एस डी एस में इसकी 4 बीघा जमीन है, इसने इस कृषि भूमि पर खेती करने के लिए ऋण लिया था, वह इसने चुकता कर दिया था।** प्रदर्श–2 पर इ से एफ लिखित 'सही व ....नगद लिए' इसकी लिखाई में नहीं है। इस बात को गलत बताया कि प्रोनोट प्रदर्श–2 पर ए से बी व जी से एच स्थान पर इसके अपने हस्ताक्षर हों। **यह गलत है कि प्रदर्श–2 पर सी से डी दौलत गोदारा के हस्ताक्षर हैं** व प्रदर्श–3 पर ए से बी इसके हस्ताक्षर हैं। **प्रदर्श–3 पर सी से डी हरबंसलाल के व इ से एफ गोविंद के हस्ताक्षर हैं या नहीं इसे नहीं पता।** नत्थूराम दोवन से इसकी कोई दुश्मनी विवाद नहीं है। इसने प्रोनोट प्रदर्श–2 व रसीद प्रदर्श–3 के फर्जी होने के संबंध में अदालत में शिकायत पेश की थी, जो इस मामले का नोटिस मिलने के बाद की थी। **इसने पुलिस थाना या जिला पुलिस अधीक्षक को प्रदर्श–2 व 3 पर अपने हस्ताक्षर फर्जी होने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। जो शिकायत अदालत में पेश की थी, उसकी असल व नकल इसने सबूत के तौर पर पेश नहीं की।** इसे पता नहीं कि इसकी शिकायत पर अदालत ने क्या आदेश दिया। इसने फोटोस्टेट की दुकान होने के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किया। **यह दौलतराम, हरबंसलाल व गोविंद को नहीं जानता है।** इसने अपनी कृषि भूमि कब ऋण मुक्त करवाई, इसे पता नहीं है। यह सही है कि जमाबंदी

प्रदर्श–4 में दर्ज इसकी 1.7710 हैक्टेयर कृषि भूमि नहरी है। **उक्त भूमि इसने बेचान नहीं की है। यह सही है कि प्रदर्श–4 जमाबंदी पर इसका नाम काश्तकार के तौर पर दर्ज है।** इसके पास प्लाट गांव लालगढ़ में 40x50 फुट का मकान है। इसके पिता के नाम है, जिसमें इसका हिस्सा है। इसके पिता की मृत्यु 2007 में हो गई थी, **अचल संपत्ति के तौर पर इसके पास जमीन है।** इसने साक्ष्य के शपथ पत्र में सी से डी स्थान पर यह लिखवाया है कि इसके पास कोई चल व अचल संपत्ति नहीं है।

15. अप्रार्थी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में अन्य साक्षी कुलदीप **एन.ए.ड.2** व लूणाराम **एन.ए.ड.3** पेश किया गया है जो उसके घर पड़ोसी बतलाए गए हैं, ने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में समरूप कथन करते हुए कृष्णलाल द्वारा दिनांक 15.05.16 को नत्थूराम से 4 लाख रुपये उधार नहीं लेने और उनके मध्य प्रोनोट नहीं लिखे जाने व प्रोनोट फर्जी एवं कूटरचित तैयार किए जाने के कथन किए हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त दोनों साक्षीगण ने कथन किया है कि दिनांक 15.05.16 को यह कहाँ थे, इन्हें नहीं पता। उस दिन कृष्णलाल कहाँ था, इन्हें नहीं पता। कृष्णलाल ने किस–किस से पैसे उधार लिए, इन्हें नहीं पता। एन.ए.ड.2 कुलदीप ने यह भी कथन किया है कि इसे नहीं पता कि दिनांक 15.05.2016 को नत्थूराम से कृष्णलाल ने प्रदर्श–2 व 3 के जरिये 4 लाख रुपये लिए थे या नहीं। एन.ए.ड.3 लूणाराम ने भी कथन किया है कि प्रदर्श–3 पर गोविंद व हरबंस के हस्ताक्षर हैं तो इसे पता नहीं। **नत्थूराम दोवण से उधार रुपये लेने के संबंध में इसे कृष्णलाल ने बताया था।** इसे यह पता नहीं कि दिनांक 15.05.16 को नत्थूराम दोवण से कृष्णलाल ने प्रदर्श–2 व 3 के जरिये 4 लाख रुपये लिए थे। कृष्णलाल की जमीन 4–5 बीघा है, जिसकी आमदनी से घर का गुजारा होता है। खुद कहा कि कृष्णलाल के कॉपी–किताबों की दुकान है। कृष्णलाल विवाह–शादी व अन्य घरेलू कामों के लिए उधार रुपये लेता है, इनकी बातचीत होती रहती है।

16. उभय पक्ष की साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता –अनावेदक पक्ष यह कथन लाया है कि कृष्णलाल ने आवेदक –गैरपुनरीक्षणकर्ता नत्थूराम दोवण से दिनांक 15.5.2016 को 4,00,000 रूपए नकद प्राप्त कर इस संबंध में एक प्रोनोट व रसीद हस्ताक्षर कर निष्पादित किए थे। उक्त प्रलेख प्रदर्श 2 व 3 के रूप में अभिलेख पर प्रदर्शित हुए हैं, जिन पर अप्रार्थी–पुनरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर ए से बी रसीदी टिकट पर व प्रदर्श–2 पर ही जी से एच स्थान पर लिखावट ई से एफ के संबंध में होना प्रार्थी पक्ष के साक्षीगण ने कथन किया है। इस संबंध में प्रोनोट व रसीद का लेखक साक्षी दौलतराम गोदारा ने भी साक्ष्य में पुष्टि की है। यद्यपि उसने अपने समक्ष

रुपयों का लेन–देन होना अस्वीकार किया है, किन्तु यह कथन किया है कि प्रोनोट व रसीद की लिखा–पढ़ी उसके द्वारा दिनांक 15.06.2016 को की गई थी और वास्तव में नत्थूराम से कृष्णलाल ने उधार राशि 4 लाख रुपये दिनांक 15.05.2016 को लेना बताया था, इसलिए उनके कहे अनुसार दिनांक 15.05.2016 अंकित करते हुए लिखा–पढ़ी की गई व इसके द्वारा उसी अनुसार दिनांक में ओवर राइटिंग कर सुधार भी किया जाना कथन कर स्पष्टीकरण दिया गया है। प्रोनोट व रसीद के अनुप्रमाणक साक्षीगण हरबंसलाल एवं गोविंद मृत्यु हो जाने से न्यायलय में परीक्षित नहीं हो सके हैं, किन्तु इससे प्रलेख निष्पादन को किसी कूटरचना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि हरबंसलाल के पुत्र राजवीर ने साक्षी कक्ष में उपस्थित होकर अपने पिता के हस्ताक्षरों को पहचान किया है और दस्तावेज लेखक ने निष्पादित होने की पुष्टि की है। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रश्नगत प्रलेख पर अपने हस्ताक्षर नहीं होना व्यक्त कर उसे कूटरचित होना बताया है, किन्तु उसके द्वारा इस कूटरचना के संबंध में कोई दांडिक अथवा अन्य विधिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई व मात्र यह मौखिक अभिव्यक्ति करता है कि उसने इस संबंध में न्यायालय में शिकायत, याचिका का नोटिस मिलने के बाद पेश की थी, किन्तु ऐसी कोई शिकायत की प्रति अथवा उसमें हुई कार्यवाही संबंधी कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है और मात्र मौखिक अभिव्यक्ति कर प्रलेख की प्रमाणिकता को खंडित करने का असफल प्रयास किया जाना प्रकट होता है और उसकी ओर से अपने पक्ष समर्थन में जो पड़ौसी साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करवाए गए हैं, ने भी अपने मुख्य परीक्षण साक्ष्य को स्वयं ही खंडित करते हुए प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में पक्षकारान के मध्य हुए संव्यवहार बाबत अनभिज्ञतापूर्ण अभिव्यक्ति देते हुए यह कथन किया है कि इन्हें नहीं पता कि दिनांक 15.5.2016 को कृष्णलाल कहां था और उस दिन कृष्णलाल ने नत्थूराम से प्रदर्श–2 व 3 के जरिए 4 लाख रूपए लिए हों। अपितु एन.ए.ड.3 लूणाराम ने यह कथन किया है कि कृष्णलाल विवाह शादी अन्य घरेलू कामों के लिए उधार रूपए लेता है, इनकी बातचीत होती रहती है। अतः इन साक्षीगण की साक्ष्य से भी अप्रार्थी–पुनरीक्षणकर्ता की प्रतिरक्षा का आधारस्तम्भ स्थापित नहीं होता है। यह विशिष्ट अवलोकनीय है कि पुनरीक्षणकर्ता–अप्रार्थी साक्षी एन.ए.ड.1 कृष्णलाल ने तो न्यायालय की आदेशिका पर अपनी उपस्थिति बाबत किए गए हस्ताक्षर भी अपने होने से इंकार कर दिया है।

17. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रोनोट प्रदर्श–2 एवं रसीद प्रदर्श–3 के निष्पादित होने व उस पर अप्रार्थी कृष्णलाल के हस्ताक्षर होने के संबंध में यह अवलंब

लिया है कि कृष्णलाल ने पुलिस थाना या जिला पुलिस अधीक्षक को प्रदर्श-2 व 3 के फर्जी होने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की और जो शिकायत अदालत में पेश की थी, उसकी असल या नकल उसने सबूत के तौर पर पेश नहीं की। इस प्रकार केवल मौखिक रूप से कह देना कि प्रदर्श-2 प्रोनोट व प्रदर्श-3 रसीद पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता और साथ ही अधिनियम की धारा 2(ग) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार उधार ली गई राशि को अधिनियम के ऋणदायित्व के अंतर्गत होना माना है, जिसमें भी किसी प्रकार की विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। विद्वान अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता पक्ष द्वारा जो पक्षकथन किए गए हैं, वे संधारणीय नहीं हैं।

18. जहां तक ब्याज दर का संबंध है, यद्यपि प्रोनोट व रसीद में 1.50 रूपए प्रति सैकड़ा प्रतिमाहवार की दर से ब्याज दर अंकित है और इसी अनुसार गणना करते हुए मूलधन मय ब्याज कुल 6,13,000 रूपए प्राप्त करने का अधिकारी होने का कथन प्रार्थी पक्ष ने किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विवाद्यक सं.3 के अंतर्गत उक्तानुसार विनिश्चय पारित किया गया है, किन्तु निर्णय के आदेश भाग में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विनिश्चय को अंतिम रूप से निष्कर्षित करते हुए ब्याज दर अधिकतम 9 प्रतिशत के आधार पर मूलधन राशि 4,00,000 रुपये पर दिनांक 15.5.2016 से 30.4.19 तक की अवधि का ब्याज 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से गणना करते हुए मूल धन मय ब्याज कुल 4,71,000 रुपये दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

<u>विवाद्यक संख्या-4</u>

19. इस विवाद्यक के अंतर्गत यह तथ्य प्रश्नगत था कि क्या अप्रार्थी अधिनियम के अंतर्गत कृषक नहीं है ? इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(ख) के अंतर्गत कृषक के संबंध में दी गई परिभाषा का अवलंब लेते हुए अंकित किया है कि कृष्णलाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कृषि भूमि दर्ज है औरवह उस पर खेती नहीं करता हो या कृषि कार्य से जीविका पूर्णतः या मुख्यतः उपार्जन नहीं करता हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं। बतौर एन.ए.ड.1 कृष्णलाल स्वयं ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि चक 18 एस डी एस में उसकी चार बीघा जमीन है, जो जमाबंदी प्रदर्श-4 के अनुसार उसकी 1.771 हैक्टेयर कृषि भूमि नहरी है और जमाबंदी में उसका नाम काश्तकार के तौर पर दर्ज है व उक्त आधार पर अधिनियम के

अनुसार कृषक होना मानने में भी कोई त्रुटि कारित नहीं की है। इसके अलावा अभिलेख अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी पक्ष के ही साक्षी एन.ए.ड.3 लूणाराम जो उसका घर पड़ौसी है, ने प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में यह स्पष्ट कथन किया है कि कृष्णलाल की जमीन 4,5 बीघा है, जिसकी आमदनी से घर का गुजारा होता है, अतः उक्त विवेचना के प्रकाश में अधिनियम के अंतर्गत कृषक नहीं होने का पक्षकथन भी संधारणीय नहीं रहता है।

विवाद्यक सं.5

20. यह अनुतोष से संबंधित महत्वपूर्ण विवाद्यक है, विवाद्यक सं. 1 से 3 के अंतर्गत दिए गए निष्कर्ष के अनुसार गैर–पुनरीक्षणकर्ता प्रार्थी पक्ष, पुनरीक्षणकर्ता अप्रार्थी पक्ष से मूल धन मय ब्याज कुल राशि 4,71,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है व उक्तानुसार ऋण दायित्व विनिश्चित किए जाने संबंधी निष्कर्ष पुष्ट किए जाने योग्य है।

21. जहाँ तक उक्त ऋण के पुनर्भुगतान की रीति का संबंध है, पुनरीक्षणकर्ता पक्ष की ओर से यह पक्षकथन किया गया है कि अप्रार्थी की स्थिति व उसकी आय को प्रमाणित किए बिना ही भुगतान संबंधी आदेश पारित किया गया है और किश्तों में व्यतिक्रम पर एकमुश्त अदायगी किए जाने का कोई प्रावधान अधिनियम में विहित नहीं है। इस संबंध में अभिलेख अवलोकन से यह प्रकट होता है पूर्वोक्त विवाद्यकों के क्रम में पारित निष्कर्ष के अनुसार बकाया ऋणदेयता की अदायगी के संबंध में अनुतोष के अंतर्गत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऋण राशि के पुनर्भुगतान योजना के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया है, किन्तु उनके द्वारा निर्णय के आदेश भाग में इस संबंध में धारा 11 अधिनियम का अवलंब लेते हुए कुल ऋणदायित्व मूलधन मय ब्याज 4,71,000 रूपए का पुनर्भुगतान छः बराबर किश्तों में द्विमासिक रूपए में करवाए जाने , जिसमें प्रथम किश्त 10.10.2025 को देय होने तथा किश्त अदायगी में व्यतिक्रम किए जाने पर संपूर्ण राशि एक साथ अदायगी का उत्तरदायित्व अप्रार्थी द्वारा वहन करने का आदेश पारित किया गया है।

22. न्यायालय द्वारा ऋण विनिश्चित किए जाने के उपरांत उसकी अदायगी की रीति के अंतर्गत ऋणि की स्थिति, आय व पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्भुगतान की व्यवस्था बाबत आदेश पारित करना होता है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की स्थिति व आय के संबंध में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया जाना प्रकट है। इस संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया जावे तो गैरपुनरीक्षणकर्ता–प्रार्थी

पक्ष ने मूल आवेदन के अंतर्गत अप्रार्थी के पास 1.771 हैक्टेयर नहरी भूमि चक 18 एस डी एस पटवार हल्का लालगढ जाटान में होना, इसके अलावा गांव में अन्य खातेदारों की कृषि भूमि को हिस्सा ठेका पर लेकर काश्त करना, जिससे करीब पांच लाख रूपए सालाना आय अर्जित करना, इसके अलावा पशुधन घर पर रखकर उनके दूध विक्रय से करीब 10,000 रूपए माहवार आमदनी प्राप्त करना दर्शाकर अप्रार्थी द्वारा कुल 6,20,000 रूपए प्रतिवर्ष आय अर्जित करना कथन कर उसकी एकमुश्त अदायगी हैसियत होना व्यक्त किया है तथा उसके पास लालगढ़ जाटान में मकान, सोने के जेवरात, पांच भैंस, आठ गायें, एक मोटरसाईकिल होना भी अंकित किया है। प्रार्थी साक्षी ए.ड.1 नत्थूराम ने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में भी अप्रार्थी को उक्तानुसार 6,20,000 रूपए आय अर्जित करना कथन किया है। जबकि अप्रार्थी ने कथन किया है कि वह न तो कृषि कार्य करता है, न ही कोई पशुधन है, वह एक फोटोस्टेट की दुकान करता है, जिससे वह करीब 5,000 रूपए मासिक कमाता है, किन्तु उसकी ओर से अपनी फोटोस्टेट की दुकान होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। इसके अलावा अपने पास 40x50 फुट का मकान होना स्वीकार किया है।

23. इस प्रकार अप्रार्थी की निश्चित आय के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, अपितु उसने स्वयं ने 5,000 रूपए मासिक आय अर्जित करना स्वीकार किया है तथा वह काश्तकार व ग्रामीण व्यक्ति होकर उसकी आजीविका का स्थाई स्त्रोत नहीं है व कृषि प्राकृतिक विपदाओं पर निर्भर रहती है और पुनरीक्षणकर्ता व उसके परिवार पर होने वाले व्यय आदि को देखते हुए, अधिनियम की धारा 11 की भावना के दृष्टिगत, कुल ऋण दायित्व राशि 4,71,000 की जो द्विमासिक छः बराबर-बराबर किश्तों में अदायगी का आदेश पारित किया गया है, अर्थात् प्रत्येक दो माह पर 78,500 रूपए की किश्त अदायगी का आदेश दिया गया है, उसे न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, तथापि प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कुल ऋणदायित्व राशि का पुनर्भुगतान 10 समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है व इस सीमा तक अंशतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार योग्य है।

-:: <u>आदेश</u> ::-

24. पुनरीक्षणकर्ता-अप्रार्थी कृष्णलाल की ओर से प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका **अंशतः स्वीकार** की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ऋण निवारण न्यायाधीश(वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश), श्रीगंगानगर के डीआरसी प्र. सं. 02/2019 शीर्षक नत्थूराम

दोवण विरूद्ध कृष्णलाल में पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 12.09.25 के अंतर्गत अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध मूल ऋण राशि 4,00,000 रूपये व इस पर दिनांक 15.05.16 से दिनांक 30.04.2019 तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित कुल ऋण राशि 4,71,000 रूपए होने बाबत् किये गए ऋण विनिश्चयकरण की सीमा तक तक पुष्टि की जाती है, किन्तु उक्त देय ऋण राशि 4,71,000 रूपए के पुनर्भुगतान के संबंध में की गई किश्तों की व्यवस्था बाबत् पारित आदेश की सीमा तक, पुनरीक्षणाधीन निर्णय व आज्ञप्ति में परिवर्तन करते हुए आदेशित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता–अप्रार्थी पक्ष देय ऋण दायित्व राशि 4,71,000 रूपए को प्रति किश्त 47,100 रूपए की दस समान अर्द्धवार्षिक किश्तों के रूप में अदा करेगा, जिसमें प्रथम किश्त दिनांक 1.6.2026 को, द्वितीय किश्त 1.12.2026 को व इसी प्रकार आगे अर्द्धवार्षिक अंतराल पर पूर्ण अदायगी होने तक किश्तें देय होगी। किश्त अदायगी में व्यतिक्रम होने पर प्रार्थी पक्ष, उस देय किश्त की राशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अतिरिक्त रूप से प्राप्त कर सकेगा। तदनुसार आज्ञाप्ति पत्र निर्गमित किया जावे। इस निर्णय की सत्य प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जावे।

(रविन्द्र कुमार)

25. निर्णय व आदेश आज दिनांक **17.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार)